International Journal of Information Movement Vol.2 Issue VIII December 2017)
Website: www.ijim.in ISSN: 2456-0553 (online) Pages 218-220

अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता एवं आयोगों की अनुशंसाएं

डॉ. राजेश कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर
एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, कैथल (हरियाणा)

भारत को आजकल 21वीं सदी की विश्व शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है, लेकिन इस रास्ते में कई बाधाएं भी हैं। सबसे बड़ी बाधा शिक्षा को लेकर है, जिसे हमने पिछले कुछ समय से काफी नजरंदाज किया है। भारत आकर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने इस देश को दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र जरूर बताया हो, लेकिन शिक्षा के लिहाज से आकलन किया जाए तो भारत की मजबूत स्थिति कहीं नजर नहीं आती। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। इस व्यवस्था से जहां हम लाभान्वित हुए हैं, वहीं हमारा नुकसान भी हुआ है। हम उन मूल्यों एवं संस्कारों से लगातार दूर होते जा रहे हैं, जिनके लिए हम जाने जाते रहे हैं। इसका दुखद पहलू यह भी है कि हम मूल्य देकर भी गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। एन.सी. एफ 2005 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा संबंधी कई चुनौतियों को शुमार किया गया है। एन. सी.एफ. 2010 में इन चुनौतियों के समाधान पर विचार एवं कार्य की बात कहीं गई है। यह विचार एवं कार्य कैसे होगा? इसका स्वाभाविक उत्तर है –शिक्षकों द्वारा। शिक्षकों के प्रशिक्षण का गुरूतर कार्य शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि एक अच्छा शिक्षक अच्छे प्रशिक्षण से बनता है।

1.0 शैक्षिक नीतियों व कार्यक्रमों के संदर्भ में अध्यापक शिक्षा :

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत सरकार ने देश की परम्पराओं एवं मान्यताओं तथा आधुनिक समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्टन्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का प्रयत्न किया है। इस दिशा में कुछ ठोस कदम भी उठाए गए है, पर शिक्षा–प्रणाली का विकास समय की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हुआ है। अध्यापक शिक्षा की सामान्य स्थिति राष्ट्र के लिए भारी चिन्ता का विषय है। शिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है, पर गुणात्मक नहीं। अध्यापक शिक्षा की दशा सोचनीय है, क्योंकि आज उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले हमारे विद्यार्थियों के सामने कोई सक्रिय उद्देश्य नहीं है। उद्देश्यहीनता के कारण वे किसी भी तरह से उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं और उपाधि रूपी लाईसेन्स नौकरी के लिए आवश्यक है। अतः ऐसे में शिक्षा आयोगों की अनुशंसाएं तथा क्रियान्वयन पर ध्यान देना आवश्यक है।

2.0 राधाकृष्णन आयोग (1948–49) द्वारा निर्धारित उच्च शिक्षा के उद्देश्य : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य अनुशंसाएं थीं कि परीक्षाओं का स्तर तब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक कि पहले शिक्षण की गुणवत्ता नहीं सुधारी जाती। इसलिए शिक्षण के स्तर में काफी सुधार की जरूरत है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए हमारे स्कूलों के लिए उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें पर्याप्त वेतन व पदोन्नति की संभावनाओं का प्रस्ताव देने की जरूरत है। शिक्षा पर पुनरावलोकन समिति (1960) ने शिक्षा विभागों में शिक्षण व अनुसंधान के संबंध में सुझाव दिया कि शिक्षा विभाग शिक्षा में स्नातकोत्तर अध्ययन द्वारा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध करवाए, शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षित करें, शिक्षा की समस्याओं पर उच्चतर अध्ययन व शोध का प्रशिक्षण देना, राष्ट्रीय विकास में आयोजना व शिक्षा की भूमिका की गहरी समझदारी वाले योग्य शैक्षिक कार्यकर्ता उपलब्ध करवायें।कोठारी आयोग (1964) द्वारा निर्धारित उच्च शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार शिक्षक–शिक्षा के पाठ्यक्रम में यथार्थवाद की कमी है। प्रशिक्षण कॉलेजों में दक्ष स्टाफ नहीं है, शिक्षा को एक स्वतंत्र अकादमिक विषय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अन्य विषयों के साथ शिक्षा के विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षक–शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम का मूल आधार गुणवत्ता होती है और इसके अभाव में शैक्षिक स्तर में गिरावट हो सकती है। मूल्यांकन की उन्नत प्रणाली अपनायी जाए, जिसमें व्यावहारिक व सक्रिय कार्य के साथ–साथ अध्यापन–अभ्यास का सतत् आंतरिक मूल्यांकन शामिल हो। अध्यापन–अभ्यास में सुधार किया जाए। पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाये जाने चाहिए, लेकिन पूर्णकालिक संस्थानों का स्तर गिरने न पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में शिक्षकों की सामाजिक स्थिति पर ध्यान देते हुए कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास में निस्संदेह शिक्षकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षक–शिक्षा की अनुशंसाओं में है कि शिक्षक–शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षक–शिक्षा के नए कार्यक्रम में सतत् शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या (1988) में शिक्षक–शिक्षा के आधारभूत

सिद्धांतों में जोर दिया है कि शिक्षक–शिक्षाकार्यक्रम शिक्षकों की व्यावसायिक तैयारी के लिए होते हैं, न कि सामान्य, अकादमिक अध्ययन के लिए। शिक्षक–शिक्षा के पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक समझ और उनके व्यावहारिक प्रयोग में एकीकरण पर बल देना चाहिए। शिक्षक के विकास पर प्रभाव और विद्यार्थी के अधिगम, सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के साथ उसका संबंध कर दिए जाएं, तो यह सार्थक होगा।

आचार्य राममूर्ति (1990) के अनुसार, प्रशिक्षु विद्यार्थियों के चयन के लिए अभिवृत्ति व योग्यता परीक्षा के कड़े मानदंड अपनाए जाने चाहिए। प्रशिक्षु विद्यार्थियों के चयन के लिए अभिवृत्ति व योग्यता परीक्षा के कड़े मानदंड अपनाये जाने चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण में समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से आए हुए बच्चों की विभिन्न जरूरतों की सामाजिक अनुभूति व सृजनात्मक कार्यों के प्रति शिक्षक की भूमिका संवेदनशील होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम (1993) शिक्षा परिषद् शिक्षक शिक्षा का नियोजित व समन्वित विकास करने, मानदंडों का निर्धारण संबंधी कार्य करेगी। शिक्षक–शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाले संस्थानों को नियमानुसार मान्यता देना और मान्यता प्राप्त संस्थानों को नए पाठ्यक्रम की संबद्धता देना। गुणात्मक अध्यापक शिक्षा का पाठ्यचर्या प्रारूप (1998) समिति ने एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम को दो वर्ष की अवधि करने का सुझाव दिया है। अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। विश्वविद्यालय तथा एन.सी. टी.ई. जैसे अन्य अभिकरणों द्वारा अध्यापक शिक्षा के एकाधिक मॉडल विकसित करने होंगे, जो कि नवाचारी मॉडल लक्ष्य चेतना तथा प्रतिबद्धता से युक्त हो। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की विशिष्ट समस्याओं पर पर अधिक ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कहा कि शिक्षक को भाषा की गहरी समझ और दक्षता, क्षमताओं और रुझानों को पहचानें। शिक्षक के लिए उसकी प्रासंगिकता प्रशिक्षण की गुणवत्ता का एक बड़ा मानक है। शिक्षकों में ऐसी क्षमता का विकास हो कि वे पाठ्यचर्या रूपरेखा की चुनौतियों को समझे तथा उनका सामना कर सके। अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 (NCFTE) की रूपरेखा 2009 में अध्यापक शिक्षा और स्कलू शिक्षा में आपसी संबंध है। दोनों का विकास एक दूसरे को पुनर्बलित करता है। जिससे शिक्षा के पूरे दायरे में आवश्यक गुणात्मक सुधार होंगे। समसामयिक संदर्भों में अध्यापक शिक्षा में समावेशित शिक्षा इनक्लूसिव शिक्षा, समता और स्थायित्व आधारित शिक्षा में सामुदायिक ज्ञान की भूमिका, स्कूलों में ICT और ई–लर्निंग को शामिल करना चाहिए।

3.0 अध्यापक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य :

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा का विस्तार होता गया साथ ही अध्यापक शिक्षा का भी विस्तार हुआ, परन्तु उसकी गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती गई। यही करण है कि भाषा में बी.ए., एम. ए. की योग्यता प्राप्त शिक्षक को उसके विषय का सम्पूर्ण ज्ञान नही होता। कई वर्षो तक माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाला शिक्षक ग्लोब की प्राथमिक जानकारी नहीं रखता। गणित के शिक्षक को दशमलव व भिन्न की अवधारणा भी स्पष्ट नहीं होती है। इस सब के पीछे मूल कारण यह है कि अधिकांश लोग जो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हुए। शिक्षक प्रशिक्षण लेकर शिक्षक बनने के प्रयास में लग गए। इस बात पर चिन्तन करना आवश्यक हो जाता है कि आखिर किस प्रकार शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता की कहां कमी है। आज शिक्षा को वैश्विक संदर्भ में केवल ज्ञान प्रदान करने या केवल गढ़ी–गढ़ाई वस्तु उत्पन्न कर देने से संबंधित नहीं माना जाता, बल्कि उसे जिज्ञासा उत्पन्न करने, उचित रुचि, प्रवृत्तियों और मूल्यों को विकसित करने तथा स्वतंत्र अध्ययन एवं चिंतन करने के लिए आवश्यक कौशल निर्मित करने एवं स्वयं निर्णय लेने से संबंधित माना जाता है। अध्यापक शिक्षा का दुखद पहलू यह भी है कि यहां सूचनाओं का हस्तान्तरण ही किया जा रहा है। कौशल एवं व्यवहार का विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है के ज्ञान कौशल एवं व्यावहारिक विकास ही प्रशिक्षण का मुख्य आधार होता है। अध्यापक शिक्षा के लिए चाहे विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण हो या पाठ योजनाओं में हरबर्ट की पंचपदी इसमें बदलाव या इसके सर्वश्रेठ विकल्प तलाशने हेतु कोई कार्य–योजनाएं तैयार नहीं हो सकी हैं। परिणामस्वरूप बरसों से प्रशिक्षण कार्यक्रम उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। यह भी सच है कि अधिकांश महाविद्यालयों में स्तरीय पुस्तकों का आभाव है। महाविद्यालयों में तकनीकी के प्रयोग का आभाव है। अधिसंख्य विद्यार्थी मात्र उपाधि चाहते हैं।

4.0 अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु सुझाव :

1. गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण के लिए गुणवत्तायुक्त विद्यार्थियों के चयन के मापदण्डों में आवश्यक परिवर्तन किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के पास एक आदर्श स्कूल की भी कमी है। जिसके कारण अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
2. वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीनतम प्रासंगिक सुचनाओं व ज्ञान पर आधारित पाठयक्रम का विकास आवश्यक है।

3. पाठयक्रम व मूल्यांकन प्रणाली के दोषों को दूर किया जाए। शिक्षक शिक्षा में प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक विषयों का मेलजोल होना चाहिए। सैद्धांतिक विषय प्रयोगात्मक कार्यों के अनुसार हो।
4. महाविद्यालयों में गुणवत्ता के मापदण्डों में नवचार व तकनीकी को आधार मान कर किया जाए। अध्यापक शिक्षा के निजीकरण से इस अनुशासन का बहुत ज्यादा स्तर गिरा है।

संगठित प्रयासों के साथ–साथ हर अध्यापक को अपनी ही पहल पर लगातार स्वाघ्याय करते रहकर नवीन ज्ञान से परिचित होते रहना चाहिए। शिक्षक को सदैव विद्यार्थी बने रहना चाहिए। अच्छा शिक्षक बनने के लिए बहुत अधिक प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं, वरन् जानकारी ग्रहण कर उसे इस्तेमाल करने की दक्षता विकसित करना जरूरी है।

5.0 संदर्भ :

1. एन.सी.टी.ई.एक्ट (1993), www.ncte-india.org
2. अग्रवाल, बी.बी., (1996), आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएं, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
3. अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2009)
4. करीकुलम फ्रेमवर्क फार क्वालिटी www.ncte-india.org टीचर एजुकेशन (1998), एएन.सी.टी.ई., नई दिल्ली।
5. विद्यालयीन पाठयचर्या की रूपरेखा, एन.सी.ई.आर.टी।
6. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948–49, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1964–66, भारत सरकार, नई दिल्ली।